

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नंबर-03, बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी:- श्री हनी गोयल, उच्चतर न्यायिक सेवा. UP02408

मूलवाद सं0(लघुवाद)-14/2020

अनुपम विजय गुप्ता बनाम नुरेमुजम्मिल आदि

दिनांक 09-10-2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र ग-51 नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र ग-51 तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को आपत्ति ग-55 पर सुना।

प्रार्थना पत्र ग-51 वादी की ओर से प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने अपना प्रतिवाद पत्र ग-33 दिनांक 07-09-2021 को अनुमति के प्रार्थना पत्र ग-32 के साथ प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र ग-32 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05-10-2021 को अंकन 300/-रूपये हर्जे पर स्वीकार किया। किन्तु प्रतिवादी ने उक्त हर्जे को अदा नहीं किया। प्रतिवादी ने अपने प्रतिवाद पत्र में अनेकों असत्य, नये एवं निराधार कथनों के साथ अभिवचनों को लिखा है, जिनका वादी की ओर से उत्तर दिया जाना नितान्त आवश्यक है और इस हेतु वादी को संलग्न प्रतिउत्तर पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जानी न्यायहित में आवश्यक है।

वादी के उक्त प्रार्थना पत्र के विरुद्ध प्रतिवादी की ओर से आपत्ति कागज सं0 ग-55 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 05-12-2022 विधि तथा तथ्यों के विपरीत है। प्रतिवादी ने प्रतिवाद पत्र में नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है तथा वादी ने प्रार्थना पत्र दिनांकित 05-12-2022 में भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया है कि प्रतिवादी ने वाद पत्र के तथ्यों का उत्तर देने के अलावा ऐसे कौन से नये तथ्य उल्लेखित किया है जिनकी बाबत वादी रैप्लीकेशन प्रस्तुत करना चाहता है। प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र के विरुद्ध प्रतिवाद पत्र के तथ्यों के खण्डन करने हेतु अथवा नये तथ्य उल्लेखित करने हेतु रैप्लीकेशन दाखिल करने का कोई हक अधिकार वादी को विधि के किसी प्रावधान में नहीं दिया गया है। चूंकि प्रतिवादी वाद पत्र में वादी द्वारा उठाये गये तथ्यों का उत्तर प्रतिवाद पत्र में दे चुका है, अब यदि इस स्तर पर वादी को पुनः तथ्य रैप्लीकेशन के माध्यम से उल्लेखित करने की अनुमति दी जाती है तब प्रतिवादी उनका जबाब देने से वंचित रह जायेगा। जिससे प्रतिवादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। रैप्लीकेशन के माध्यम से वादी नये तथ्य उठाना चाहता है। इन कथनों के साथ प्रार्थना पत्र दिनांकित 05-12-2022 निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद, वादी द्वारा बाबत किराया बेदखली व हर्जाना वसूली न्यायालय के समक्ष दिनांक 22-12-2020 को

दायर किया गया है। वाद हाजा में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07-09-2021 को अनुमति के प्रार्थना पत्र ग-32 के साथ अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल किया गया है, वादी द्वारा उक्त प्रतिवाद पत्र पर रैप्लीकेशन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी के उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति दाखिल की गयी है तथा वादी को प्रतिवादी के प्रतिवाद पत्र के विरुद्ध प्रतिवाद पत्र के तथ्यों के खण्डन करने हेतु अथवा नये तथ्य उल्लेखित करने हेतु रैप्लीकेशन दाखिल करने का कोई हक अधिकार वादी को विधि के किसी प्रावधान में नहीं दिया जाना बताया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र न्यायालय के आदेश पर रूपये 300 हर्जे पर स्वीकार किया गया था। अतः न्यायहित में वादी की ओर से रैप्लीकेशन प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र ग-51 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है तथा आपत्ति निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग-51, हर्जा 300/-रूपये पर स्वीकार किया जाता है। तदनुसार आपत्ति ग-55 निस्तारित की जाती है। वादी द्वारा दाखिल रैप्लीकेशन हर्जा अदा करने के उपरान्त पत्रावली पर शामिल मिशल हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 20-10-2023 को पेश हो।

दिनांक: 09-10-2023

(हनी गोयल)
अपर जिला जज, कोर्ट सं0-03,
बिजनौर।